

Speed post / त्रिवि डाक

I/23957/2024

उल्लंघन पत्र

Violation letter/

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines, Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202

संख्या: 2920/MCDR-MiFLOWo/2/2022-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: /01/2024

प्रेषित: श्रीमती रेनु अत्रे, खान मालिक तथा लेसी,
कोटरा वॉलेस्टोनाइट खान,
हाउस नंबर 378, ब्लॉक-C
मलवीय नगर, जयपुर (राज.) -302017
(e-mail: atrerenu@gmail.com, wolcamines@gmail.com)

विषय: राजस्थान राज्य के ब्यावर जिले में स्थित आपकी कोटरा वॉलेस्टोनाइट खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 28/11/2023 by undersign in presence of your representative Sri M.M. Atre.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	<p>Mining operations have not been carried out in accordance to the Review of Mining Plan approved on 02/05/2019 for the year 2022-23 to the extent given below:</p> <p>(1) Stripping ratio of 1:0.003 CuM/CuM has been achieved against the target of the 1:0.069 CuM/CuM.</p> <p>(2)Waste or Overburden of only 9.0 CuM has been generated against the target of the 3192 CuM, whereas ROM of 7676 tons have been archived against the target of the 11999.00 Tons.</p> <p>(3) Development was proposed near boundary pillar A (deposit-I) and middle of lease boundary AB (deposit-III), whereas, development was carried out in NE direction of the deposit –III i.e. over non-approved area.</p> <p>(4) Height of the benches was observed 5 to 6 meters against the proposed bench height of 3 meter.</p> <p>(5) Waste dumping during the year was proposed in South west direction of deposit-III, however, during inspection it is observed that waste dumping has been carried out near to the existing pit.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, अजमेर।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

